न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री आलोक जैन (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ
अपील प्रकरण संख्या :– 01/2017 दायर तारीख 25.01.201

अनवान

01. शंकरलाल पिता प्रभुलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहर बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. निर्मला पुत्री प्रभुलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलि जिला भीलवाडा (राज0)

.....अपील

बनाम

01. काली उर्फ पुप्पा पुत्री प्रभुलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तह बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. ग्राम पंचायत बिजौलियां जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलियां
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....रेस्पो

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2172 निर्णय दिनांक 21.02.2012 और से ग्राम पंचायत बिजौलियां अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 11.02.

अपील प्रकरण मे सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बिजौ ग्राम बिजौलियां कंला में स्थित तत्कालिन खाता संख्या 144 , 145, 349, 463, में व आराजीयात में दर्ज खातेदारन का विरासत से नामान्तकरण निर्णित करने में रेस्पं संख्या 02 ने तथ्यात्मक व विधिसंगत भूल फरमाई है। उक्त जमाबन्दी में खातेदार रतनी पुत्री रामचन्द माली फोत हो चुकी थी। जिसका विरासत से नामान्तकरण नि किया जाना था। खातेदार रतनी के वारिस शंकर, निर्मला, काली उर्फ पुष्पा ह अधिनस्थ न्यायालय अपने नामान्तकरण निर्णय में मृतक रतनी का खातेदार का र सहवन से गलत दर्ज करते हुये काली उर्फ पुष्पा पुत्री को दो अलग अलग पुत्रीयो के में दर्ज कर दिया जो तथ्यात्मक रूप से गलत था और पटवारी हल्का तथा भू0 अधि निरीक्षक ने इस बारे में बिना जांच पडताल किये गलत सजरे के आधार पर अपील नामान्तकरण निर्णित कर दिया जबकि खातेदार रतनी के मृत्यु के समय काली उर्फ व निर्मला नाम की दो पुत्रीया ही जीवित थी। इससे पूर्व एक पुत्री तारी हुई जो रत जीवनकाल में ही लाओलाद फोत हो चुकी थी।

निरन्तर पेज संख्या 0

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाडा

मु0 रतनी के पति प्रभु पिता नाना की मृत्यु के समय विवादित आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 1017 दिनांक 25.06.1992 में निर्णित किया गया था। मृतक रतनी के अलावा अपीलार्थीगण मृतक तारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पुष्पा के नाम के रूप में दर्ज कर नामान्तकरण निर्णित किया गया था। इससे भी यह प्रमाणित है कि प्रभु व रतनी के जीवित सन्ताने अपीलार्थीगण तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुल 3 उत्तराधिकारी एक पुत्र व दो पुत्रिया ही मौजूद थी। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपीलाधीन नामान्तकरण निर्णित करते समय त्रुटिवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दो पुत्रिया मानकर निर्णय पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एक ही पुत्री के दो नाम के रूप मे जानी जाती है। काली व पुष्पा नाम की दो अलग अलग पुत्रिया मु0 रतनी व प्रभु की नही थी। पुष्पा के पहेंचान पत्र व अन्य दस्तावेज भी मु0 काली के नाम से ही उपलब्ध है इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में उक्त अपीलाधीन निर्णय द्वारा अंकन त्रुटिपूर्ण हो गया है। कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दो अलग अलग महिलाए है। जबकि पुष्पा नाम की अलग से कोई पुत्री नही हैं। इस त्रुटिपूर्ण अंकन को दूरूस्त करने हेतु नामान्तकरण निर्णय दिनांक 21.02.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

खातेदार मु0 रतनी पुत्री रामचन्द्र माली के जीवित उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 होकर प्रत्येक का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दो खातेदार के रूप में अपीलाधीन नामान्तकरण सें अंकित हो जाने के कारण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा रहकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। किन्तु शेष 1/4 हिस्से का वास्तविक खातेदार नही है। केवल काल्पनिक नाम के रूप मे पुष्पा पुत्री प्रभुलाल दर्ज रेकार्ड है इससे अपीलार्थीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड कर अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार होकर अपील पेश करने की पात्रता रखते है। उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया जिससे उक्त गलत अंकन की जानकारी नही हो सकी और अपीलार्थीगण यही समझते रहे कि उक्त आराजी उनके व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त गलत अंकन की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 06.01.2017 को राजस्व रेकार्ड की नकलो का अवलोकन करने पर हुई एवं साथ में ही मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण पर पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 को अपास्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस मय नकल अपील मेमो भेजकर करवाई गई किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 नोटिस तामील के बावजूद अनुपस्थित अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री रामफूल धाकड ने अधिकार पत्र मय जवाब अपील प्रस्तुत किया। अपील में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता द्वारा की गई जिसमें अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया की अपीलान्ट अनपढ होकर काश्तकार व्यक्ति है जिनको उक्त नामान्तकरण के निर्णय की किसी प्रकार जानकारी नही हो सकी। प्रथम बार जानकारी दिनांक 06.01.2017 को राजस्व रेकार्ड की नकलो का अवलोकन करने पर हुई। निर्णय दिनांक 21.02.2012 से सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 06.01.2017 के मध्य गुजरी अवधि को क्षमा किया जाना विधि एवं न्याय संगत है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने भी उक्त कथन पर अपील हुई देरी को क्षमा करने पर सहमति जताई। अपील में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के अनुसार अपील को अन्दर अवधि शुमार किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपील में बहस अधिवक्ता अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट की सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काली उर्फ पुष्पा की ओर से अधिवक्ता रामफूल धाकड उपस्थित जिन्होने जवाब अपील पेश कर अपील में वर्णित तथ्यो को सही होना स्वीकार किया जिसमें काली व पुष्पा दो अलग अलग पुत्रिया खातेदार प्रभु व रतनी की नही होना बताकर एक ही पुत्री के दो नाम होना स्वीकार किया है। इस प्रकार खातेदार रतनी के विरासत के नामान्तकरण में जो सजरा अंकित किया गया है। उसके में खातेदार के एक पुत्र शंकर व दो पुत्रिया निर्मला तथा काली उर्फ पुष्पा होना चाहिए था किन्तु सहवन से काली उर्फ पुष्पा को अलग अलग पुत्रिया बताकर नामान्तकरण निर्णित किया गया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील का खण्डन नही किया गया। इस प्रकार अपील के वर्णित तथ्यो के आधार पर अपील को स्वीकार किये जाने में कोई एतराज़ नही रहता है।

चूंकि उक्त नातान्तकरण के निर्णय में त्रुटि गलत सजरा अंकित किये जाने से हुई है। इसी कारण राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में काली व पुष्पा अलग अलग पुत्रियो का गलत दर्ज होकर राजस्व अभिलेख इस प्रकार त्रुटिपूर्ण हो गया की जहां रतनी के तीन वारिसान है वहां चार वारिस अंकित होकर प्रत्येक का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 हो गया है। जबकि काली उर्फ पुष्पा दो पुत्रिया नही होंकर दो नाम से एक ही पुत्री है। इस कारण प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है।

—: आदेश :—

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्करण संख्या 2172 दिनांक 21.02.2012 को खारीज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बिजौलियां को रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम बिजौलियां कलां स्थित खाता संख्या 144 , 145, 349, 463, में दर्ज खातेदार मु0 रतनी पुत्री रामचन्द माली के वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(आलोक जैन)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)